

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपुर, दरभंगा

वाद संख्या - 80/12-13

अन्तर्गत बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009

बिन्देश्वर लाल देव _____ वादी

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य _____ प्रतिवादी

आदेश

26.08.13

यह वाद बिन्देश्वर लाल देव पिता रामफल लाल देव के द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत आवेदन देने पर प्रारंभ किया गया। वाद की प्रविष्टि करते हुए प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत किया गया। प्रतिवादी संख्या - 02,03,05 एवं 08 के द्वारा उपस्थित होकर अधिवक्ता के माध्यम से ध्यान तहरीरी समर्पित किया गया। शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा सुनवाई का आदेश पारित करते हुए उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि -

1. यह कि विवादित जमीन मौजा - ताराचन्द्रपुर उर्फ माधोपुर में अवस्थित है जिसका विवरण निम्नांकित है।

स्मृता :- 121, खेसरा - 748, रकबा - 2 कट्ठा

चौहद्दी :- उत्तर - नदी भरन

दक्षिण - जागो यादव

पूरब - बिन्देश्वर लाल देव

पश्चिम - जागो यादव

मिनजुमले नम्बर के दक्षिण से 2 कट्ठा

2. यह कि विवादित जमीन वादी को निबंधित केबाला द्वारा प्राप्त है जिसे तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपुर ने भू-हद्दबंदी 16(3) में पारित आदेश के आलोक में वादी के पक्ष में 17.08.91 को केबाला का निष्पादन किया था।
3. यह कि उक्त केबाला के आधार पर वादीगण पूर्ण अधिकार एवं हकीयत के साथ जमीन पर दखल कब्जा प्राप्त किए तथा लगान रसीद भी प्राप्त किए।
4. यह कि प्रतिवादीगण स्व० अनरिया देवी के पुत्र हैं।
5. यह कि प्रतिवादीगण प्रतिकूल कब्जा के आधार पर जमीन पर दावा करते हैं जबकि ध्यान तहरीरी में यह उल्लिखित नहीं करते हैं कि किस तिथि को और कैसे विवादित जमीन से वादी को बेदखल कर दिए हैं।
6. यह कि न्यायालय को स्वयं द्वारा पारित आदेश के आलोक में वादी को रक्षा देना है।
7. यह कि प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाय कि तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा निष्पादित केबाला को मानते हुए वादी के दखल कब्जा में प्रतिवादीगण हस्तक्षेप न करें।
8. यह कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी व्यादेश का आदेश पारित करते हुए जमीन पर जाने से रोका जाय।



प्रतिवादीगण संख्या - 2,3,5 एवं 8 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि -

1. यह कि वादी द्वारा विवादित जमीन हकीयत घोषित करने हेतु तथा प्रतिवादीगण (द्वितीय पक्ष) के विरुद्ध स्थायी व्यादेश (Permanent injunction) का आदेश पारित करने हेतु वाद दायर किया गया है।
2. यह कि प्रतिवादीगण का कहना है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.91 को केबाला के निष्पादन किपु जाने के बाद भी वादी कभी भी विवादित जमीन के दखल में नहीं आए तथा यह मात्र कागज तक ही सीमित रह गया।
3. यह कि वादीगण के पक्ष में अबतक नामांतरण प्रभावी नहीं हुआ है तथा प्रतिवादीगण अभी तक विवादित जमीन का लगान देते आ रहे हैं।
4. यह कि कार्यवाही के दौरान बिन्देश्वर लाल देव द्वारा कभी भी दखल की मांग नहीं की गई और न ही विक्रेता द्वारा दखल ही दिया गया।
5. यह कि इस प्रकार पूर्व में अनरिया देवी एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके वैध उत्तराधिकारियों के दखल में जमीन रहा तथा पिछले 22 वर्षों से दखल में है।
6. यह कि उपरोक्त परिस्थिति में प्रतिकूल कब्जा (Adverse Possession) के नियम से प्रतिवादीगण को अधिकार एवं हकीयत 2003 में प्राप्त हो गया। यह कि 2003 से अबतक प्रतिवादीगण शांतिपूर्ण दखल कब्जा में जमीन के चले आ रहे हैं तथा अब तक है।
7. यह कि बिन्देश्वर लाल देव द्वारा काल बाधा से बचने के लिए स्थायी व्यादेश का आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया गया है। जबकि बिन्देश्वर लाल देव दखल कब्जा पाने का अधिकार ओ चुके हैं।
8. यह कि इस न्यायालय को हकीयत तथा अधिकार घोषित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।
9. यह कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के धारा - 4(5) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि जहाँ स्वत्व न्याय निर्णीत करने का जटिल प्रश्न उत्पन्न होगा। न्यायालय कार्यवाही को बंद कर देगा तथा पक्षकार सक्षम व्यवहार न्यायालय में पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र होंगे।
10. यह कि बिन्देश्वर लाल देव दखल कब्जा पाने का अधिकार ओ चुके हैं क्योंकि केबाला का निष्पादन 17.08.91 को हुआ जिसका 12 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। इस प्रकार बिन्देश्वर लाल देव का वाद लिमिटेशन एक्ट के धारा - 65 से भी बाधित है।
11. यह कि अनरिया देवी के कब्जे में जमीन रही है तथा - उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों के कब्जे में है जिसका लगान वे दे रहे हैं।
12. यह कि वादी द्वारा कभी भी दखल कब्जा की मांग नहीं की गई तथा न ही कन्ट्रैक्ट अधिनियम के धारा - 39 के तहत कोई कारवाई की गई।

अतः वादी के वाद को स्वारिज किया जाय।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से निष्कर्ष निकलता है कि वादी को विवादित जमीन भू-हदबंदी 16(3) वाद संख्या - 24/83-84 में पारित आदेश के आलोक में तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपुर द्वारा दिनांक 17.08.91 को निष्पादित केबाला के आधार पर प्राप्त है। स्पष्ट है उक्त केबाला के आधार पर वादी को विवादित जमीन पर पूर्ण अधिकार तथा हकीयत प्राप्त है।



वादी द्वारा समर्पित लगान रसीद जो वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु निर्गत है जिसका रसीद संख्या - 007402 है को अवलोकन से स्पष्ट है कि कोबाला का निष्पादन के पश्चात से विवादित जमीन पर वादी को दखल कब्जा प्राप्त है।

अतः वादी के आवेदन को स्वीकृत करते हुए प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी व्यादेश (Permanent Injunction) का आदेश पारित किया जाता है तथा वादी के शांतिपूर्ण दखल में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण को प्रतिबंधित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

6/11/13
भूमि सुधार उप समाहर्ता
बेनीपुर



6/11/13
भूमि सुधार उप समाहर्ता
बेनीपुर